

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 620/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. आदित्य पुत्र स्व. मोहनलाल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. मुकेश पुत्र मोहनलाल जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षक माता विधादेवी पत्नि स्व. मोहनलाल जाति जाट विसी वार्ड नम्बर 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

-वादीगण

बनाम

1. विधा देवी पत्नि स्व. मोहनलाल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 18 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ,राज0।
2. तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ,राज0।
3. तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ,राज0।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अनिल सिहाग वकील-वादीगण

श्री श्रवणकुमार वर्मा प्रतिवादी सं. 1

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2, 3

निर्णय दिनांक- 26/12/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालासर के खाता संख्या 130/110 के खसरा नम्बर 379/217 की 5.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 380/231 की 5.0600 हैक्टेयर कुल 10.1200 हैक्टेयर में से 1/9हिस्सा कृषि भूमि व रोही मौजा मालासर के खाता संख्या 213/55 के खसरा नम्बर 463/128 की 12.9850 हैक्टेयर में से 222/2597हिस्सा कृषि भूमि व रोही मौजा मालासर के खाता संख्या 216/107 के खसरा नम्बर 215 की 0.1640 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222/1 की 2.6560 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 46/1 की 7.2350 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 10.0550 हैक्टेयर में से 1/9हिस्सा कृषि भूमि व रोही मौजा मालासर के खाता संख्या 89/112 के खसरा नम्बर 390/119 की 4.5520 हैक्टेयर में से 1/3हिस्सा कृषि भूमि के वादीगण खातेदार कास्तकार हैं व तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 27 एस.टी.जी. के खाता संख्या 73/67 के पत्थर नम्बर 35/318(47) किला नम्बर 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 व पत्थर नम्बर 38/316(35) किला नम्बर 21 ता 24, 25/1, 25/2 व पत्थर नम्बर 38/317(37) किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 इस प्रकार कुल 10.1460 हैक्टेयर में से 1/27 हिस्सा जो वर्तमान में मोहनलाल पुत्र बीरबलराम के नाम दर्ज है, के वादीगण को ब हिस्सा बराबर के खातेदार कास्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/12/2025  
.....को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

